



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बैंगलुरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. : 1671 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1671

विषय / Sub : सू-30 एमकेआई वायुयान के लेग रेसिस्टेंट रोप (एसटीआरएपी), पार्ट सं. एसयूएम/3-17343-04
Leg Restraint Rope (STRAP) of SU – 30 MKI Aircraft
Part Number: SUM /3-17343-04

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स 16 बेस रिपेर डिपो (बीआरडी), वायु सेना पालम, नई दिल्ली – 110 010 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "लेग रेसिस्टेंट रोप (एसटीआरएपी)" पार्ट सं. एसयूएम/3-17343-04 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1671, दिनांक 18 अगस्त 2011, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1671 जारी किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2016 तक था।

This is to state that the "Leg Restraint Rope (STRAP)" bearing the Part No.: SUM /3-17343-04, designed, developed and manufactured by M/s. 16 Base Repair Depot (BRD), Air Force Palam, New Delhi – 110 010 was issued with Type Approval No.: 1671 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1671, dated: 18th August 2011 with validity up to 30th June 2016.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 नवंबर 2016 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 30 सितम्बर 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (कानपुर), सेमिलैक, कानपुर – 208 008, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st November 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th September 2021 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Kanpur), CEMILAC, Kanpur – 208 008, Three (03) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

05/12/16

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1671, दिनांक 24 सितम्बर 2011 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद 4 में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1671, dated: 18th August 2011 is amended as stated herewith.

“[अगर इस संलग्न टाइप रिकोर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बैंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency].

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1671/1R

दिनांक / Date : 11 November 2016

फैक्स सं. / Fax No.: 080-25230856

(पी. जयपाल / P. JAYAPAL)
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता) /
Chief Executive (Airworthiness)